

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 30(6) मं.मं./2018

जयपुर दिनांक:- 25/1/19

परिपत्र

**विषय :-**राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने बाबत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक परिपत्र 27.12.2018 के क्रम में लेख है कि राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व प्रशासनिक विभागों द्वारा राजकीय बोर्ड/निगम/उपक्रमों आदि के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किये जाकर, प्रतियां राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों को वितरित किये जाने हेतु भिजवानी होती है।

परिपत्र दिनांक 27.12.2018 के माध्यम से समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा के आगामी बजट सत्र आहूत होने के उपरान्त या बजट प्रस्तुत करने से सात दिवस पूर्व विधानसभा को भिजवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा को विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा। वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा सचिवालय में विलम्ब से पहुंचने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।


अतः पुनः अनुरोध है कि 31 दिसम्बर 2018 तक की सूचना/आंकड़े प्रतिवेदन में सम्मिलित करते हुए नियत समय तक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन की 325 प्रतियां विधानसभा को, 5 प्रतियां वित्त (आय-व्ययक) विभाग, एक-एक प्रति प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर एवं महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, समस्त माननीय संसद सदस्यों को एवं एक प्रति इस सचिवालय को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। कृपया प्रगति विवरण/प्रशासनिक प्रतिवेदन राजभाषा हिन्दी में ही भेजा जाना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

  
25/1/19  
(डॉ० राजेश शर्मा)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष।
6. रक्षित पत्रावली।
7. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.1(7)(3) साशा विस/2018/34801 दिनांक 24.12.2018 के क्रम में।

  
25/1/2019  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)  
वरिष्ठ शासन उप सचिव